



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता।

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eeppwdchakrata10@rediffmail.com](mailto:eeppwdchakrata10@rediffmail.com)

पत्रांक.11.4.../15सी04

दिनांक 02/05/2023

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषय:- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online NO.FP/UK/ROAD/4817/ 2020)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक सं० 4347/12-1 चकराता दिनांक- 21 मार्च 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 03.04.2023 को प्रस्तावित मार्ग का संयुक्त निरीक्षण इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता द्वारा आपके साथ वन क्षेत्राधिकारी चकराता द्वारा किया गया था जिसमें भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्ति के अनुसार प्रस्तावित मार्ग को संशोधित कर मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मीटर कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया है। आपको पुनः अवगत कराना है, कि लोक निर्माण विभाग में पहाड़ी क्षेत्रों के मोटर मार्गों के नव निर्माण हेतु मानक न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मीटर से कम की प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मी० किया जाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त स्थलीय निरीक्षण उपरान्त पूर्व में आरक्षित वन भूमि/वन पंचायत भूमि में पड़ने वाले वृक्षों की गणना एवं प्रजाति में निम्नता पायी गई है, नवीन गणना एवं प्रजाति सही है।

अतः उपरोक्त आख्या आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता।

पत्रांक.../15सी04

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता।